महत्वपूर्ण एवं खास

31 नग बैटरी व 08 बंडल केबल वायर के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। थाना पूंजीपथरा अन्तर्गत चिराईपानी में सुनील इस्पात एंड पावर लिमिटेड प्लांट स्थित है जो वर्तमान में बंद है। प्लांट की

सुरक्षा में पब्लिक सिक्युरिटी सर्विसेस जिला हिसार हरियाणा के सिक्युरिटी गार्ड लगे हैं। 24 नवम्बर के रात्रि करीब 10.30 बजे सिक्युरिटी सुपरवाइजर सुग्रीव गोयल, केशर सिंह के साथ प्लांट के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान कुछ चोरों को इन्होने प्लांट के किलन के नीचे एवं किलन के ऊपर चढ़कर केबल (कापर) वायर काटते हुये देखा और चिल्लाये। तब किलन के नीचे खड़े लोग भाग गये और ऊपर चढकर केबल वायर काट रहे चोर भाग नहीं सके।

सिक्युरिटी सुपरवाईजर सुग्रीव गोयल ने चोरी की सूचना डायल 112 को दिया जिसके बाद डॉयल 112 की ईआरवी वाहन एवं थाना पूंजीपथरा स्टाफ मौके पर पहुंचे, जिन्होने घेराबंदी कर तीन चोर (1) धनीराम राठिया पिता नकुल प्रसाद राठिया उम्र 40 वर्ष (2) सुरती राठिया पिता भुगदेव राठिया उम्र 35 वर्ष (3) लालसाय पिता हेतराम यादव उम्र 24 वर्ष सभी निवासी कोनपारा थाना घरघोड़ा को पकड़े। चोरी की रिपोर्ट थाना पूंजीपथरा में सिक्युरिटी सुपरवाईजर सुग्रीव गोयल पिता बलदेव राज उम्र 31 वर्ष निवासी बाजीदपुर कटियांवाली थाना बोदीवाला जिला फाजिलका (पंजाब) द्वारा दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट पर धनीराम राठिया व अन्य के विरूद्ध अप.क्र. 155/18 धारा 379,34 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दरम्यान आरोपी धनीराम राठिया, सुरती राठिया एवं लालसाय यादव के मेमोरेण्डम पर 31 नग चोरी की हुई बैटरी, 08 बंडल कापर वायर (प्रत्येक बंडल में 7 मीटर) बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है ।

डाल्फिन स्कूल के संचालक पर धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज

रायगढ़। डालफीन इंटरनेशनल स्कूल सरिया द्वारा आवेदकगण खीरसागर पिता श्रीपति, हीरालाल पिता लोचन, श्याम लाल पिता रामरतन, घुराई पिता चेतन, कुंजराम पिता घासीराम, जयंत पिता राधे लाल, प्रसाद दास पिता नेहरू लाल सभी निवासी नवघटा व छेलफोरा तहसील बरमकेला के बच्चो से प्रवेश फीस लेकर वर्ष 2011 में शाला के प्रवेशक उमा शर्मा एवं राजेश शर्मा द्वारा 9 लाख 33 हजार 2 सौ रूपये का धोखाधडी कर स्कूल बंद कर फरार हो जाने के संबंध में कलेक्टर महोदय रायगढ़ को दिये गये शिकायत पत्र की जांच थाना प्रभारी सरिया द्वारा की गई। जांच पर शाला के प्रवेशक उमा शर्मा एवं राजेश शर्मा के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420,406,34, भादवि के अपराध पाये जाने से दिनांक 25.11.18 को अप.क्र. 258/18 धारा 406,420,34 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

चोरी के 8 मोटर सायकल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, जूटमिल पुलिस की कार्रवाई

पकड़े गये आरोपियों में से एक आरोपी है इंजीनियर

रायगढ़। शहर में बाइक चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को जूटमिल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ने चोरी की 8 बाइक को अपने-अपने घर में छिपाकर रखा था। जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में खातबात यह है कि पकड़े गये एक आरोपी इंजीनियर है जिसने शार्ट कट तरीके से और जल्दी ही पैसा कमाने के खातिर चोरी करना शुरू कर दिया।

इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शहर में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में लगे थे। इसी दौरान पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि दो युवक रायगढ़ से बाइक चोरी कर ओडिशा ले जाकर फर्जी कागजात व और ओडिसा का नंबर प्लेट तैयार पर बेच देते हैं। सूचना पर जूटमिल पुलिस ने चौकी क्षेत्र के बांझीनपाली में दबिश देकर दोनो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिनसे पुछताछ करने पर एक युवक ने अपना नाम राजीव पटेल पिता

सहदेव पटेल 35 वर्ष निवासी ग्राम बारामुड़ा थाना बरपाली जिला बरगढ़ ओडिशा बताया। बताया जा रहा है कि राजीव पटेल पेशे से इंजीनियर है और शार्ट कट तरीके से और जल्दी ही पैसा कमाने के खातिर चोरी करना शुरू कर दिया और पकड़ा गया। वहीं दूसरे युवक ने अपना नाम नारायणो सेठ पिता रामकुमार सेठ 39 वर्ष निवासी ग्राम लखनपुर थाना आमाभौना ओडिशा बताया। दोनो आरोपी वर्तमान में जूटमिल क्षेत्र के बांझीनपाली में रह रहे थे। दोनो आरोपी ने अपना जुर्म कबुल करते हुए बताया कि सभी चोरी गई वाहनों को ओडिशा स्थित अपने घर में रखे हैं। जिसपर जूटमिल पुलिस ओडिशा जाकर उनके निशानदेही के अनुसार चोरी के 8 बाइक को बरामद कर लिया है और मामले में अपराध दर्ज कर लिया है।

इस कार्रवाई में जूटमिल चौकी प्रभारी अंजना केरकेट्टा, उप निरीक्षक धनुराम नायक, सहायक उपनिरीक्षक झामलाल मार्को, प्रधान आरक्षक विजय गोपाल यादव, आरक्षक मुकेश साहू, जीतराम लहरे सहित पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही।

दहेज प्रताड़ना मामले में सास, ससुर और देवर को आजीवन कारावास

रायगढ़। दहेज प्रताड़ना के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली भदरी गांव निवासी अनिता दर्शन मामले में आज तीन अरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिष दुबे ने सुनाया। इस मामले में कुल 5 अभियुक्त थे, जिनमें से दो को पहले ही सजा हो चुकी हैं, शेष तीन लोगों की सजा का निर्धारण सोमवार को किया गया। इन सभी पर भादवि की धारा 304 बी /149 के तहत चालान पेश किया गया था। बता दें कि अनिता दर्शन का विवाह 2 जून 13 को चद्रहास के साथ हुआ था। विवाह के एक साल बाद

अभियुक्तो ने उसे 20 हजार रुपए के दहेज की मांग को लेकर शारीरिक मानसिक रुप से प्रताड़ित करने लगें, जिससे तंग आकर अनिता ने 17 अप्रेल 2014 को दोपहर 1 से 4 बजे के बीच घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत्यु के समय अनिता को 9 माह का गर्भ था। मामले की सुनवाई दो चरणों में हुई। पहले मामले में पति चद्रहास दर्शन व हेमलता दर्शन को सजा हो चुकी थी उस समय ससुर ओमप्रकाश सास रत्नबाई व देवर विवेक का फैसला नहीं हुआ, जिन्हें आज विध्दान न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा व अर्थ दंड से दंडित किया।

मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव बेरीवाल ने पैरवी की।

डेंगू से बचने अब स्कूल प्रबंधन को भी फरमान बच्चे इस तरह से ड्रेस कोड में आए स्कूल

रायगढ़। जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा सभी शासकीय अशासकीय शिक्षण संस्थानों को एक फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि है कि छात्र-छात्राएं पांव से सिर तक ढकने वाले ड्रेस पहन कर आए। जिसमें फुल आस्तीन वाली शर्ट कुर्ता फुल पैंट सलवार ही पहन कर स्कूल आए। साथ ही मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलिंग क्रीम भी लगाएं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा स्कूल परिसर की नियमित साफ-सफाई पानी जमाव वाले स्थान पर मिट्टी तेल कीटनाशक आदि का भी छिड़काव करें । जहां पानी जलते रहता है वहां की नियमित साफ-सफाई दवा का छिड़काव आदि निश्चित तौर पर करें। दरअसल जिले में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन द्वारा स्कूल प्रबंधन को भी इस तरह का आदेश जारी किया है ताकि बच्चे किसी भी तरह से घर के बाहर भी सुरक्षित रह सके और डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से बच सकें स्कूल प्रबंधन बच्चों में डेंगू से बचाव के लिए बच्चों को जागरूक भी करें।

जंगली सुअर का मांस बेचने वाला मुख्य आरोपी पकड़ाया, लंबे समय से कर रहा था बिक्री

रायगढ़. पिछले दिनों जंगली सुअर का मांस खरीद कर घर लौट रहे तीन लोगों को वन अमला ने पकड़ा था। वहीं मामले में मांस की बिक्री करने वाले की तालाश की जा रही थी। जिसे आज रायगढ़ वन अमला ने धर दबोचा है। जहां मामले में आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक दो नवबंर को वन विश्वनाथपाली के बीट गार्ड जयनाथ पन्ना, समिति अध्यक्ष सुभाष साव और सहकर्मी रामेश्वर साहू जंगल गस्त के दौरान सांपखंड के पास एक बाइक में सवार तीन लोगों को रोककर जांच किया गया। जांच के दौरान तीन प्लास्टिक की थैली में मांस का टुकड़ा था। पूछताछ करने पर जंगली सुअर का मांस होना बताया गया। इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दी।

इसके बाद तत्काल मौके पर रायगढ़ डिप्टी रेंजर राजेश्वर मिश्रा, रेंगालपाली डिप्टी रेंजर दिनबंधु प्रधान सहित अन्य वनकर्मी मौके पर पहुंचे और वन विभाग की टीम ने सकरबोगा निवासी भोवल्ला पिता हरिहर 30 साल, बनोरा निवासी शिवकुमार राणा पिता भानुप्रसाद 38 साल और सकरबोगा निवासी रंजीत पिता बोधराम भुंईहर को पकड़ कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।

वहीं जंगली सुअर के मांस के साथ पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ किया गया था, तब उन्होंने बताया कि वो डूमरपाली के प्रकाश शाह से 200 रुपए किलोग्राम में खरीद कर ला रहे हैं। इसके बाद डीएफओ मनोज पांडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रकाश व उनके साथी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
Topper Students Last Session
स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996
पिछले 22 वर्षो से लगातार बच्चों के साथ...
ADMISSION OPEN
For Nuresery to 10th

Major Facts
1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....
CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य बिन्दु
पीड़ित संपर्क करें
अन्य बिन्दु
पता ... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर सारा का सारा दिया जाये ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को ज्यादा मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.वी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO.-CHHHIN16931